न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 7024–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–7–2015 पारित द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प, बुरहानपुर प्रकरण कमांक 9/बी–103/2012–13.

सी.के. कोट्सपिन प्राय.लि. बुरहानपुर द्वारा

1– नरेन्द्र कुमार अग्रवाल पिता छगनलाल अग्रवाल
निवासी 203, बहादरपुर रोड बुरहानपुर म.प्र. (संचालक)

2– श्रीमती आभादेवी पति नरेन्द्र अग्रवाल
निवासी 203, बहादरपुर रोड बुरहानपुर म.प्र. (संचालक)

3– राहुल कुमार पिता नरेन्द्र कुमार अग्रवाल
निवासी 203, बहादरपुर रोड बुरहानपुर म.प्र. (अंशधारी)

4– श्रीमती सुषमा पति अविनाश लाड
निवासी सिटी कोतवाली के पास
चौक बाजार बुरहानपुर म.प्र. (अंशधारी)

5– जगदीश अग्रवाल पिता बंशीलाल अग्रवाल
निवासी 203, बहादरपुर रोड बुरहानपुर म.प्र. (अंशधारी)

6– अविनाश लाड पिता मनीलाल लाड
निवासी सिटी कोतवाली के पास
चौक बाजार बुरहानपुर म.प्र. (अंशधारी)

7– गुलाब पिता नेनुमल दुंबवानी
निवासी बी 157, इन्दिरा कालौनी
बुरहानुपर म.प्र. (अंशधारी)

.....आवेदकगण

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प बुरहानुपर

.....अनावेदक

श्री कैलाश अस्वार, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री हेमन्त मुंगी, अभिषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/3/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 (4) के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–7–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ऑडिट निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 की कंडिका 2 में सी.के. कोट्सपिन प्राय.लि. फर्म को कम्पनी में परिवर्तित करने संबंधी मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसिएशन अस्टाम्पित होने संबंधी आपत्ति किए जाने पर उप पंजीयक, बुरहानपुर द्वारा मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसिएशन की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु कलेक्टर आफ स्टाम्प, बुरहानपुर को पत्र कमांक 56/उ.पं./2013 दिनांक 6–7–13 से भेजी गई । कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 9/बी–103/2012–13 दर्ज कर दिनांक 15–7–2015 को आदेश पारित कर कमी मुद्रांक शुल्क 9,00,000/– एवं शास्ति 10,000/– कुल राशि 9,10,000/– जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर आफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) कलेक्टर आफ स्टाम्प के समक्ष आवेदकगण द्वारा उत्तर प्रस्तुत कर इस आशय की आपत्ति की गई थी कि मुद्रांक अधिनियम के प्रावधान अनुसार फर्म से कम्पनी के रूप में विलोपित/समाहित होने से सम्पत्ति का हस्तांतरण नहीं माना जा सकता है ।

(2) कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा उनकी आपत्ति अंशतः स्वीकार कर आर्टिकल आफ एशोसियेशन पर बाजार मूल्य अनुसार स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित नहीं की जाकर शेड्यूल 1–ए के आर्टिकल 22 के अनुसार शेयर मूल्य 1,20,00,000/– रूपये पर पर 7 प्रतिशत का आकलन कर 9,00,000/– रूपये मुद्रांक शुल्क निर्धारित करने में अवैधानिकता की गई है ।

(3) कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा जिन न्याय दृष्टांतों के आधार पर आदेश पारित किया गया है, वे इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं, क्योंकि इन न्याय दृष्टांतों में कम्पनी के

संचालकों के द्वारा सममूल्य पर शेयर एवं डिवेंचरों में विक्रय मूल्य बताकर केता के रूप में हस्तांतरण किया गया है, जबकि इस प्रकरण में इस प्रकार की स्थिति नहीं है ।

(4) पूर्व में फर्म के भागीदार जितने–जितने अंश के अंशधारी थे, फर्म विलोपित करने के उपरांत उसी स्वरूप में नरेन्द्र कॉट फायबर इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड के नाम से कम्पनी बनाई गई है, जो कम्पनी अधिनियम के अध्याय 9 के अनुसार पंजीयत होकर उक्त कम्पनी में पूर्व के भागीदारों को उनकी भागीदारी फर्म में उनके अंश अनुसार ही कम्पनी के इक्वीटी शेयर आवंटित किए गए हैं, इस कारण भी कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश अवैधानिक होकर निरस्त किए जाने योग्य है ।

(5) कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा अपने आदेश में ऐसे किसी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है कि फर्म की अचल सम्पत्ति का हस्तांतरण कम्पनी के पक्ष में किया गया है ।

(6) सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के प्रावधान के अनुसार आधिपत्य स्वत्व का निर्धारिण करना था तथा उक्त व्यक्ति, संस्था या फर्म द्वारा एतद संबंधी अचल सम्पत्ति को स्वयं में ही समाहित करने की स्थिति को सम्पत्ति का विधिवत हस्तांतरण मान्य नहीं किया जा सकता है ।

(7) कम्पनी अधिनियम की धारा 75 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि यदि कम्पनी द्वारा किसी प्रकार से नगद रूप में नगद राशि प्राप्त कर कम्पनी के शेयरों को विक्रय करती है तो ऐसी स्थिति में कम्पनी रजिस्ट्रार को 30 दिवस में विक्रीत शेयरों के संबंध में विस्तृत विवरण देते हुए सूचना देना होगी तथा ऐसे विक्रीत शेयरों को विक्रय नहीं किया गया है, परन्तु कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा कम्पनी अधिनियम की धारा 75 का मनमाना अर्थ लगाकर आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है ।

(8) आवेदकगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है, और न ही उप पंजीयक द्वारा अपने पक्ष को प्रमाणित किया गया है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा बिना साक्ष्य के आदेश पारित करने में विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है ।

उनके द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प का आदेश निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि आवेदक फर्म सी.के. कोट्सपिन प्रायवेट लिमिटेड ने अपने आपको कम्पनी में तब्दील किया गया है, अतः कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा सम्पत्ति का हस्तांतरण मानकर

बाजार मूल्य निर्धारित करते हुए मुद्रांक शुल्क अधिरोपित करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है । चूंकि आवेदकगण द्वारा मुद्रांक शुल्क का अपवंचन किया गया है, इसलिए कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा शास्ति अधिरोपित करने में भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निर्विवादित है कि सी.के. कोट्सपिन प्राय.लि. फर्म को आवेदकगण द्वारा कम्पनी बनाया जाकर मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसिएशन निष्पादित किया गया है । इस संबंध में कलेक्टर आफ स्टाम्प्स द्वारा न्याय दृष्टांत 1978 (46) कम्पनी केसेज 590 (देहली) 16 डब्ल्यू.आर. 208 एवं 2002 (10) एस.सी.सी. 427 के प्रकाश में प्रश्नाधीन मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल आफ एसोसिएशन को अन्तरण विलेख मानकर अनुसूची 1–ए के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत मुद्रांक शुल्क निर्धारित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । चूंकि दस्तावेज अधिनियम की धारा 33 (2) के अंतर्गत परिबद्ध किया जाकर अधिनियम की धारा 40 के अनुसार धारा 38 की उपधारा 2 के अधीन कलेक्टर आफ स्टाम्प को प्रेषित किया गया है, अतः कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा अधिनियम की धारा 40 (ख) के अंतर्गत रूपये 10,000/– की शास्ति अधिरोपित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । इस प्रकार कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–7–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

7/ यह आदेश प्रकरण कमांक निगरानी 7022–पीबीआर/15, प्रकरण कमांक निगरानी 7023–पीबीआर/15 एवं प्रकरण कमांक निगरानी 7025–पीबीआर/15 पर भी लागू होगा । अतः इस आदेश की प्रति उक्त प्रकरण में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर